भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्याः 297
उत्तर देने की तारीखः 09.12.2019

स्कूल के छात्रों की मृत्यु

297. श्री राहुलरमेश शेवालेः
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न स्कूलों से छात्रों की मृत्यु के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो राज्य, वर्ष और स्कूल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में छात्रों की मृत्यु का मुख्य कारण शारीरिक दंड था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तरह मृत्यु होने के अन्य क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'(

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

स्कूल के छात्रों की मृत्यु के संबंध में श्री राहुल रमेश शेवाले एवं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 09.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 297 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, स्कूलों में सभी बच्चों के लिए सकारात्मक और सक्षम अधिगम वातावरण सुनिश्चित करने को अधिदेशित करता है। अधिनियम धारा 17 (1) के तहत 'शारीरिक दंड' और 'मानसिक उत्पीड़न' को निषिद्ध करता है और धारा 17 (2) के तहत इसे दंडनीय अपराध बनाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 31 के तहत बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के नियंत्रण में आते हैं। राज्य सरकार, आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार है। राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के आरटीई नियमावली अधिसूचित किए हैं और उनके पास इन नियमावली के अंतर्गत ब्लॉक/जिला स्तरीय शिकायत निवारण एजेंसियां हैं।

तथापि, स्कूलों में शारीरिक दंड और बच्चों की मृत्यु की घटनाओं से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से लिया जाता है और यह मंत्रालय स्कूलों में बच्चों की शारीरिक सुरक्षा और मानसिक-सामाजिक देखभाल पर पूरा ध्यान देता है। इस मंत्रालय ने स्कूलों में शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 35 (1) के तहत 26.03.2014 को दिशा-निर्देश/एडवाइजरी जारी किए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 30.3.2012 और 25.7.2007 के परिपत्रों में शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए उनके अधीन स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, नवोदय विद्यालय समिति ने जेएनवी स्कूलों में बच्चों के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर नियुक्त किए हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इससे संबद्ध सभी स्कूलों को दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के परिपत्र के तहत आरटीई अधिनियम, 2009 का पालन करने का निर्देश दिया है जिसमें शारीरिक दंड निषिद्ध है। एमएचआरडी द्वारा विकसित विस्तृत दिशानिर्देश को

भी 23 मई, 2014 के परिपत्र के तहत विद्यालयों के साथ साझा किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के संबद्धता उपनियम, स्कूल प्रबंधन समिति को कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार देता है, यदि वह स्कूल के बच्चे या कर्मचारी के साथ क्रूरता का आरोपी है। सीबीएसई ने प्रत्येक संबद्ध स्कूल में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

वर्ष 2018-19 से प्रभावी, स्कूल शिक्षा की एकीकृत योजना समग्र शिक्षा के तहत, स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श से संबंधित उपायों के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता का प्रावधान है। स्कूलों में प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षकों को संवेदनशील बनाने और हेल्पलाइन/ आपातकालीन नंबरों और संपर्क व्यक्तियों के नाम के साथ सुरक्षा संबंधी डिसप्ले बोर्डों के के लिए चालू वित्त वर्ष 2019-20 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की गई है। निष्ठा, जो कि एक राष्ट्र-व्यापी एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, के अंतर्गत शिक्षकों को काउंसिलिंग, पीओसीएसओ अधिनियम के प्रावधानों, किशोर न्याय अधिनियम, स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबरों, शिकायतों के लिए शिकायत पेटी आदि के बारे में अभिमुख किया जाता है इसके अतिरिक्त, किशोर बच्चों के मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा पर भी दिनांक 18.10.2019 के पत्र के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, दुर्व्यवहार की रोकथाम के संबंध में जागरूकता और आपदा/आपातकालीन स्थिति में बचाव संबंधित ड्रिल के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।

*****